7

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2020-00121RAAJodhpur2020-52RTA223 Omprakash ors Vs Ramrakhram etc

1. ओमप्रकाश पुत्र रामरखराम
2. करनाराम पुत्र रामरखराम
3. कैलाश पुत्र रामरखराम
4. पाबू पत्नी रामरखराम
5. पतासी पुत्री रामरखराम
6. मीरा पुत्री रामरखराम

   जातियान विश्नोई, निवासीगण बालाजी नगर, एकलखोरी, तहसील औसिया, जिला जोधपुर।
7. रूकमा पुत्री रामरखराम फौत के कायम मुकामः—

   7.1.जगराम पुत्र राणुराम जाति विश्नोई निवासी चैराई, तहसील औसिया, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रामरखराम पुत्र भगवानाराम **(फौत नाम तर्क)**
2. शेराराम पुत्र रामरखराम
3. कमला पत्नी शेराराम
4. दीपाराम पुत्र रामरखराम
5. भागीरथराम पुत्र भगवानाराम
6. सहींराम पुत्र मगनाराम
7. रूपाराम पुत्र मगनाराम
8. शेतानराम पुत्र मगनाराम
9. बंशीलाल पुत्र मगनाराम
10. मुलतानराम पुत्र मगनाराम
11. श्रवणराम पुत्र मगनाराम
12. शांति पुत्री मगनाराम
13. बरजू पुत्री मगनाराम
14. रामी पुत्री मगनाराम
15. कानी पत्नी मगनाराम

    जातियान विश्नोई, निवासीगण बालाजी नगर, एकलखोरी, तहसील औसिया, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2019/20 नवंबर 2019/29 जनवरी 2020 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 77/2015 ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

नि र्ण य

दिनांक 25 मई 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2015 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2019/20 नवंबर 2019/29 जनवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम बालाजी नगर तहसील औसियां के खसरा नंबर 716/1 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 767 रकबा 14.02 बीघा के संबंध में धारा 88, 188 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2019/20 नवंबर 2019/29 जनवरी 2020 के जरिये वाद खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर गौर किये बिना वाद को सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए खारिज किया गया है। वादीगण ने अपने दावे को दस्तावेजी एवं जबानी शहादत से बखूबी साबित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन डिक्री व निर्णय अनियमितताओं का पिटारा है। दावे में सुनवाई करने के पश्चात पत्रावली को निर्णय हेतु लम्बित रख दिया गया एवं निर्णय की कोई तारीख नहीं दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से आज्ञा सूची में वाद को 29.01.2020 को निर्णित करना बताया गया है। जब अपीलार्थी द्वारा निर्णय की नकल ली गई तो उसमें एक तारीख 20.12.2019 लिखी हुई पाई गई व अंतिम पद में वाद का निर्णय दिनांक 20.11.2019 को करना लिखा हुआ पाया गया। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या एक को वादी के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित हो चुका था कि विवादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी भूमि है एवं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा जो बेचान प्रतिवादी संख्या तीन को किया गया, वह बेचान वादीगण के अधिकारो के विरूद्ध उनके हिस्से तक शून्य है। वादीगण को उक्त भूमि में जन्म से अधिकार अर्जित हो चुके थे। इस कारण प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या तीन के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को निरस्त करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अदालत मातहत ने वाद बिन्दू संख्या एक को निर्णित करने में कानून को पूर्ण रूप से नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या एक को निर्णित करने में उतराधिकार सम्बन्धी कानून की गलत व्याख्या की है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उक्त वाद राजस्व न्यायालय में पोषणीय है एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने में केवल राजस्व न्यायालय ही सक्षम है। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या दो को वादीगण के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा निष्पादित शुन्य बेचान के आधार पर यदि क्रेता वादीगण के अधिकारो को चुनौती दे अथवा गैर कानूनी कृत्य करे तो वादीगण निश्चय ही प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के मुश्तहक है। अदालत मातहत ने वाद बिन्दू संख्या तीन को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करने में भारी भूल की है। प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा वादीगण के अधिकारो के विरूद्ध शुन्य है। विचारण न्यायालय ने इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में दिये गये बयानो का बिलकुल गलत अर्थ निकाला है। केवल कोई बेचाननामा पंजीबद्ध करवा दिये जाने मात्र से स्वतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वैद्य नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या चार को वादी के विरूद्ध निर्णित करने में भारी भूल की है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उक्त वाद की सुनवाई हेतु राजस्व न्यायालय पूर्णरूप से सक्षम है। जब विचारण न्यायालय ने यह तय कर दिया कि उक्त वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है तो फिर उन्होने वाद को गुणावगुण पर कैसे निर्णित किया। क्षेत्राधिकार का नहीं मानने की सुरत में दावे को खारिज करने के भी कोई अधिकार विचारण न्यायालय को नहीं थे। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अनाधिकारपूर्ण होने से भी निरस्त करने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वाद बिन्दू संख्या पांच को प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित करने में भारी भूल की है। प्रतिवादीनी कभी भी उक्त बेचान के आधार पर भूमि पर काबिज नहीं हुई एवं न हो सकती थी, क्योकि उसके पक्ष में निष्पादित बेचान स्वयं ही एक बोगस बेचान है। अपीलाधीन निर्णय से लगता है कि विचारण न्यायालय ने सभी वाद बिन्दूओं पर निर्णय करने के पश्चात पत्रावली में बहस की सुनवाई की एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जब सुनवाई बाद में की गई तो वाद बिन्दूओं को पहले कैसे निर्णित कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय कानून की नजर में कोई निर्णय ही नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने वाद को तो निर्णित कर दिया, परन्तु पत्रावली में डिक्री पर्चा तैयार ही नहीं किया, इस कारण डिकी पर्चे की नकल अपील के साथ पेश नहीं की जा रही है एवं अपीलार्थी आदेश 20 नियम 6–ए(2), के प्रावधानो के तहत निर्णय को ही डिक्री पर्चा शुमार किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने दावे में बहस सुनने के बाद लम्बे समय तक फैसला नहीं किया एवं पत्रावली को लम्बित रखा। काफी समय निकल जाने के बाद अपीलार्थी को ऐसी जानकारी मिली की रेस्पोडेन्ट राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज बदलवाने की कोशिश कर रहे है तो अपीलार्थी ने न्यायालय में जाकर दिनांक 11.03.2020 को अर्जी दी कि उसे पत्रावली की नकल दी जावे तो अन्दर से पत्रावली निकाल कर अपीलार्थी को नकल दे दी गई, जिसमें आज्ञा सूची में दावे का निर्णय दिनांक 29.01.2020 को करना पाया गया, परन्तु निर्णय की नकल में दो अलग अलग तारीखे कमशः 20.12.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2019, तथा 20.11.2019 लिखा हुआ पाया गया। इस दौरान वाद का निर्णय दिनांक 29. 01.2020 को ही किया गया है एवं अपीलार्थी की प्रथम जानकारी यह अपील अन्दर मियाद पेश की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2015 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2019/20 नवंबर 2019/29 जनवरी 2020 को अपास्त किया जावे तथा माफिक अनुतोष वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के द्वितीय पृष्ठ पर निर्णय की तारीख 20.12.2019 अंकित है तथा अंतिम पृष्ठ पर निर्णय दिनांक 20.11.2019 अंकित तथा आदेशिका में पत्रावली दिनांक 20.01.2020 को निर्णित होना बतायी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं पत्रावली की अंतिम आदेशिका आपस में विरोधाभासी है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि निर्णय किस तिथि में पारित हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका अनुसार अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। लिहाजा उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के पश्चात डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। लिहाजा अपीलांट का निवेदन स्वीकार किया जाता है एवं निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जाता है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–3 नामांतरकरण संख्या 120 ग्राम चेराई तहसील औसियां के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पूर्व में खातेदार सांवता वल्द मुगला के नाम से दर्ज होना प्रकट होती है। सांवता वल्द मुगला की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स के पिता रामरख को विरासतन/पुश्तैनी आधार पर प्राप्त होना प्रकट होती है। वादग्रस्त आराजीयात पुश्तैनी होने से कानूनन उसमें अपीलांट्स/रामरख के सभी पुत्रों का समान हक–हिस्सा निहित है। खातेदार रामरखराम को अपने पुश्तैनी हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था तथा खातेदार रामरखराम द्वारा हिस्से से अधिक निष्पादित बेचाननामा अपीलांट्स के हिस्से तक शून्य है। डी.डब्ल्यू–1 कमला द्वारा भी अपनी जिरह में वादग्रस्त आराजीयात को पुश्तैनी होना स्वीकार किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों का विधि में निहित प्रावधानोनुसार समुचित विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत पारित किये जाने पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहराते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 77/2015 अनवान ओमप्रकाश व अन्य बनाम रामरखराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 दिसंबर 2019/20 नवंबर 2019/29 जनवरी 2020 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों का विधिसम्मत विवेचन करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रत्येक तनकी पर पुनः विधिसम्मत निष्कर्ष पारित करते हुए विधिनुसार मामले का पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर